न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/29/16

जाकिर उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत लुहेसर तहसील कांमा जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर (द्वितीय) जरिये पैरोकार सरकार

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 21–06–2016 प्रकरण संख्या 18/2016

निर्णय **दिनांक 27.11.2017**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर के आदेश दिनांक 21–06–2016 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर किया जाकर जमा प्रतिभूमि राशि 1000/– रुपये जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद गलत हैं। योग्य अभिभाषक कहना है कि प्रार्थी पर तीन आरोप लगाये गये हैं। तीनों आरोप का जबाब तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रथम आरोप में वक्त जांच दिनांक 15.3.2016 को राशन डीलर उपस्थित नहीं मिला का है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.3.2016 को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा था। सायं के समय प्रार्थी की पुत्री की तबीयत खराब होने के कारण उसे दिखाने डाक्टर के पास गया था। दुकान पर पुत्र को बैठाकर गया था उसके द्वारा उपभोक्ताओं का वितरण किया जा रहा था। आरोप न.2 दुकान पर स्टॉक प्रदर्शन नहीं कराने का आरोप गलत है। जब कि प्रार्थी द्वारा चोक से उपलब्ध सामग्री का अंकन किया जाता है, उनका कहना है कि हो सकता है किसी बच्चे वगे. ने मिटा दिया हो। प्रार्थी पर 412 लीटर कैरोसीन तेल के गबन का आरोप भी गलत है। 412 लीटर कैरोसीन तेल का दुरुपयोग का आरोप गलत है। 412 लीटर दुकान पर रखा हुआ था। चूँकि प्रार्थी बच्ची को दिखाने गया हुआ था पीछे से दुकान पर बैठे पुत्र था। प्रतर्वन निरीक्षक ने मौके पर दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है सारी कार्यवाही कार्यालय में बैठकर की गई है। प्रार्थी को जब निलम्बित किया गया था उस वक्त शेष सामग्री कैरोसीन तेल 412लीटर को आदेशित डीलर को चार्ज में दिया गया

.....2

है। प्रार्थी की बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण प्रार्थी तनाव में था इस कारण भूलवस चीनी के स्टाक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर में त्रुटि के कारण चार किलो चीनी का अन्तर आया था। इसमें किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि जैसे ही सामग्री आती है उसका तद्नुसार उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है कभी कभी ज्यादा भीड़ होने या उपभोक्ता द्वारा कार्ड नहीं लाने के कारण राशनकार्ड में इन्द्राज रह जाता है। परन्तु सामग्री का वितरण सम्बन्धित उपभोक्ता को पोष मशीन के सत्यापन के बाद दे दिया जाता है। जॉच में जिन सात व्यक्तियों के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण सामग्री नहीं मिलने का जो कथन किया गया है वह इकतरफा में की जांच है। प्रार्थी के समक्ष इनसे पूछताछ की जानी चाहिये थी ताकि सही स्थिति सामने आती। बिना किसी ठोस आधार पर आरोपों को गलत विवेचन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने विधिवत जॉच कराई गई है। प्रार्थी डीलर ने कूटरचित फर्जी वितरण रजिस्टर तैयार कर 412 लीटर केरोसीन को बचाकर सपुर्दगी में दिया गया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रार्थी डीलर के खिलाफ पुलिस थाना कांमा में एफ.आई.आर. संख्या 332/2016 दर्ज कराई गई है जिसमें पुलिस द्वारा अनुसन्धान किया जा रहा है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया गया। उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जॉच रिपोर्ट एवं पुलिस थाना कांमा में एफ.आई.आर. संख्या 332/2016 दर्ज है, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसन्धान किया। अस्तु अपीलान्ट किसी भी प्रकार अनुतोष पाने का हकदार नहीं रहता है। अपील काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2017 को सुनाया गया।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Web Copy - Not Official